न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

नंबर मुकदमाः– 5/2021 दायरा दिनांकः– 3/3/2021

रणवीरसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू

.........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू, राजस्थान

...........अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी

2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9/7/2021

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 140, 85 तादादी कमशः 11.2300, 9.6113 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 20.8413 हेक्टेयर भूमि खाता संख्या 111 व खेत खसरा संख्या 256, 37, 38, 683/166, 73 तादादी कमशः 6.5887, 19.1467, 14.0122, 3.0477, 1.7705 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 44.5658 हेक्टेयर भूमि खाता संख्या 443 वाके रोही ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। खाता संख्या 111 में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा व खाता संख्या 443 में प्रार्थी का 337/7048 हिस्सा है। इन दोनों खाता भूमियों में प्रार्थी का नाम जीतूसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपुत निवासी तेनदेसर दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रणवीरसिंह पुत्र पूर्णसिंह है। प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जॉब कार्ड, भामाशाह कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में प्रार्थी का नाम रणवीरसिंह पुत्र पूर्णसिंह अंकित है। जीतूसिंह प्रार्थी का बोलता नाम है जबकि रणवीरसिंह प्रार्थी का दस्तावेजी नाम है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम जीतूसिंह व अन्य समस्त दस्तावेजों में नाम रणवीरसिंह होने से प्रार्थी को बैंक ऋण लेने में परेशानी हो रही है। प्रार्थी ने दिनांक 01.12.2020 को अप्रार्थी से मौखिक रूप से निवेदन किया कि रोही ग्राम तेनदेसर के वर्तमान खाता संख्या 111 व 443 में प्रार्थी का नाम जीतूसिंह की जगह रणवीरसिंह किया जावे। इस पर अप्रार्थी ने इस प्रकार से राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपना नाम जीतूसिह की जगह रणवीरसिंह का संशोधन कराये। राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर से राजस्व रेकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार बीदासर ने अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय में दिनांक 1.6.2021 को पेश की है तथा प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है।

हमनें पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती का है जिसमें अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर ने अपने जवाब में प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जॉबकार्ड आदि में रणवीरसिंह पुत्र पूर्णसिंह अंकित है जबकि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम जीतुसिंह पुत्र पूर्णसिंह अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्व किया जाना उचित प्रतित होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रोही ग्राम तेनदेसर के खसरा संख्या 140, 85 कुल तादादी 20.8413 हेक्टेयर व खसरा संख्या 256, 37, 38, 683/166, 73 कुल तादादी 44.5658 हेक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम जीतुसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपुत निवासी तेनदेसर को संशोधित किया जाकर रणवीरसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपुत निवासी तेनदेसर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 9/7/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय